राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला–बाड़मेर

	विप्रार्थीगण
1. कुम्भा पुत्र हरजी जाति मेघवाल, निवासी बाछला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	1. गोरधनराम पुत्र सिमरथा 2. अर्जुनराम पुत्र वाहताराम 3. केवलाराम पुत्र वाहताराम 4. चिमनाराम पुत्र वाहताराम 5. जगाराम पुत्र वाहताराम 6. भंवराराम पुत्र वाहताराम 7. लालाराम पुत्र वाहताराम 8. उकाराम पुत्र विरधाराम 9. केवलाराम पुत्र विरधाराम 10. कालाराम पुत्र विरधाराम 11. तगाराम पुत्र विरधाराम 12. देवा पुत्र हरजी 13. हरीगा पुत्र हरजी 14. कैलाशचंद पुत्र दुर्गाराम 15. जगदीशचंद पुत्र सेजु पुत्र दुर्गाराम 16. मरूआ पत्नि दुर्गाराम 17. गिरधारी पुत्र बखता 18. चेतन पुत्र बखता 19. जगदीश पुत्र बखता 20. दला पुत्र बखता 21. लूंगा पत्नि बखता 22. जगमालराम पुत्र जीवाराम 23. पारस पुत्र जीवाराम 24. सीतादेवी पत्नि जीवाराम 25. डालुराम पुत्र आईदान 27. तगा पुत्र गोकला 28. दलू पत्नि दमा 29. मंगलाराम पुत्र दमा 30. रावताराम पुत्र दमा 31. सुमराराम पुत्र दमा 32. नेनाराम पुत्र उतमा 33. मोहनराम पुत्र उतमा 34. नारायणराम पुत्र किसनाराम 35. मोहनलाल पुत्र किसनाराम 36. पारूदेवी पत्नि किसनाराम 37. वरीगा पुत्र सुजा 38. मिश्री पुत्र सुजा जाति मेघवाल, निवासी बाछला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 39. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा धोरीमन्ना 40. तहसीलदार सेड़वा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 06 / 2025

07/01/25 प्रार्थी कुम्भा पुत्र हरजी जाति मेघवाल निवासी बाछला तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीराम विश्नोई वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ तहसील सेड़वा के मौजा बाछला पटवार क्षेत्र भैरूड़ी भू.अ.नि. बामड़ला के खाता संख्या नया 79 खसरा संख्या 104 रकबा 17.0696 हैक्टेयर किस्म बा0दोयम, खसरा संख्या 171 रकबा 12.5129 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 240/87 रकबा 3.4074 हैक्टर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 242/87 रकबा 0.1295 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम व खसरा संख्या 72 रकबा 2.2339 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है। अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है। अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक तहसील सेड़वा के मौजा बाछला पटवार क्षेत्र भैरूड़ी भू.अ.नि. बामड़ला के खाता संख्या नया 79 खसरा संख्या 104 रकबा 17.0696 हैक्टेयर किस्म बा0दोयम, खसरा संख्या 171 रकबा 12.5129 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 240/87 रकबा 3.4074 हैक्टर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 242/87 रकबा 0.1295 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम व खसरा संख्या 72 रकबा 2.2339 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि के राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा न करे तथा वादग्रस्त भूमि का बेचान, व अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं करें। मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एड़ी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थी वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 20/02/2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

12/02/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी [illegible] उप.। चूंकि मूलवाद को राजीनामा [illegible] पेश कर दिया गया। [illegible] को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इस आवेदन को [illegible] इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल दफ्तर हो मूलवाद के संलग्न हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:47:49 IST
Reason: SelfAttested